साप्ताहिक समसामयिकी

यूपीएससी, पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए

05 FEB - 11 FEB, 2025

अमेरिका ने भारत के चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए प्रतिबंध छूट की समीक्षा की

1. चाबहार बंदरगाह

समाचार: अमेरिकी सरकार वर्तमान में भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए दी गई प्रतिबंध छूट की समीक्षा कर रही है, जिससे भारत की मध्य एशिया के साथ संपर्क योजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिकी प्रतिबंध एवं चाबहार छूट

- अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए, जो मुख्य रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हैं। हालांकि, क्षेत्रीय संपर्क और मानवीय महत्व को देखते हुए भारत को चाबहार बंदरगाह के लिए छूट दी गई।
- पहली छूट (2018) में भारत को प्रतिबंधों से मुक्त किया गया, और बाद में इसके नवीनीकरण से शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल पर संचालन जारी रखने की अनुमति मिली।

अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर प्रभाव

- **चाबहार विकास में बाधा:** अमेरिकी प्रतिबंध भारत के बंदरगाह संचालन में रुकावट पैदा कर सकते हैं।
- **तेल व्यापार में बदलाव:** भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल आयात जारी रखे हुए है।
- **व्यापार और संपर्क पर प्रभाव:** चाबहार ने 90,000+ टीईयू और 8.4 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभाला है; प्रतिबंध प्रगति रोक सकते हैं।
- **भारत-ईरान व्यापार में गिरावट:** ईरान से आयात 2018-19 में $13 बिलियन से घटकर 2019 के बाद $1 बिलियन से कम रह गया।

चाबहार बंदरगाह के बारे में

- चाबहार बंदरगाह ईरान के ओमान की खाड़ी पर स्थित है और यह देश का एकमात्र महासागरीय बंदरगाह है।
- यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के चाबहार शहर में स्थित है।
- चाबहार में दो बंदरगाह हैं: शहीद कलंतरी और शहीद बेहेश्ती।
  - शहीद कलंतरी बंदरगाह एक पुराना बंदरगाह है, जिसमें सीमित जलक्षेत्र होने के कारण केवल छोटे जहाजों (फीडर वेसल) के ठहराव की सुविधा है।
  - शहीद बेहेश्ती बंदरगाह को चार चरणों में विकसित किया जा रहा है।
- सभी चार चरणों के पूरा होने के बाद, बंदरगाह की क्षमता 82 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व

सामरिक (Strategic) महत्व:

- चाबहार बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापार मार्ग प्रदान करता है।
- यह भारत की क्षेत्रीय उपस्थिति को मजबूत करता है और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में कार्य करता है।

आर्थिक लाभ:

- यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, जिससे परिवहन लागत और समय में कमी आती है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, शहीद बेहेश्ती टर्मिनल पर जहाज यातायात में 43% और कंटेनर यातायात में 34% वृद्धि दर्ज की गई।

भारत का निवेश:

- 2024 समझौते के तहत, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने बंदरगाह के उपकरणों के लिए $120 मिलियन निवेश करने का संकल्प लिया है।
- इसके अलावा, भारत ने चाबहार से जुड़ी बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए $250 मिलियन की ऋण सुविधा प्रदान की है।

आगे का रास्ता (Way Forward)

- **सामरिक संतुलन:** भारत को अपने अमेरिका और ईरान के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि उसके क्षेत्रीय हित सुरक्षित रहें।
- **राजनयिक संवाद:** चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए लंबी अवधि की छूट (waiver) प्राप्त करने हेतु अमेरिका के साथ सक्रिय बातचीत आवश्यक है।
- **क्षेत्रीय संपर्क:** चाबहार अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत के व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भरता कम होती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान के साथ व्यापार के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाकर भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** ईरान, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग मजबूत करना ताकि क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।
- **बुनियादी ढांचा निवेश:** चाबहार बंदरगाह और रेल नेटवर्क के निरंतर विकास से इसे एक प्रमुख व्यापार केंद्र (Trade Hub) के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- **सामरिक स्वायत्तता:** किसी एक वैश्विक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए, भारत को अपने दीर्घकालिक भू-राजनीतिक (geopolitical) हितों को सुरक्षित रखना चाहिए।

2. ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM)

समाचार: केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) को e-NAM 2.0 में अपग्रेड करने की योजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार में लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करना है।

e-NAM क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक संपूर्ण भारत में लागू ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म है, जो मौजूदा APMC मंडियों को एक केंद्रीय बाजार से जोड़ता है। यह किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को पारदर्शी और कुशल व्यापार में भाग लेने की सुविधा देता है। यह प्लेटफॉर्म मूल्य खोज (Price Discovery) में सुधार करता है, बिचौलियों की लागत को कम करता है और व्यापक बाजारों तक पहुंच बढ़ाता है।

e-NAM की प्रमुख विशेषताएँ:

- **ऑनलाइन व्यापार:** किसान बिचौलियों के बिना सीधे देशभर के खरीदारों को अपनी उपज बेच सकते हैं।
- **मंडियों की परस्पर संबद्धता:** वर्तमान में 1,260 से अधिक APMC मंडियां e-NAM से जुड़ी हुई हैं, जिससे सुगम व्यापार संभव होता है।
- **डिजिटल वजन और भुगतान:** सटीक लेन-देन सुनिश्चित करता है और किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में तेजी से प्राप्त होता है।
- **गुणवत्ता प्रमाणन:** मानकीकृत ग्रेडिंग और जांच (Assaying) को बढ़ावा देता है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके।
- **एकीकृत लाइसेंसिंग:** एक सिंगल लाइसेंस से व्यापारी कई मंडियों में कारोबार कर सकते हैं।

किसानों और कृषि पर प्रभाव

- **उच्च मूल्य प्राप्ति:** किसानों को प्रत्यक्ष खरीदारों तक पहुंच और राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य दृश्यता के कारण प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलता है।
- **स्थानीय मंडियों पर निर्भरता में कमी:** कार्टेल व्यवस्था और स्थानीय व्यापारियों के वर्चस्व को समाप्त करता है।
- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** डिजिटल प्लेटफॉर्म निष्पक्ष बोली प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और अनियमितताओं को रोकता है।
- **बाजार से जुड़ाव:** कृषि व्यवसायों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और निर्यातकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे बेहतर व्यापार अवसर मिलते हैं।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **बुनियादी ढांचे की कमी:** कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और e-NAM के प्रति जागरूकता की कमी है।
- **राज्य स्तर पर प्रतिरोध:** कुछ राज्य स्थानीय नियंत्रण के नुकसान के डर से APMC मंडियों के पूर्ण एकीकरण में हिचकिचाते हैं।
- **सीमित वस्तु कवरेज:** सभी कृषि उत्पाद e-NAM के तहत नहीं आते, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो जाता है।

आगे का रास्ता

- **डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार कर किसानों की भागीदारी बढ़ाना।
- **क्षमता निर्माण:** किसानों और व्यापारियों को डिजिटल साक्षरता और e-NAM के लाभों पर प्रशिक्षित करना।
- **वस्तु कवरेज का विस्तार:** अधिक फसलों को प्लेटफॉर्म पर शामिल कर e-NAM के फायदों को बढ़ाना।
- **सरकारी समर्थन और नीतिगत सुधार:** राज्यों को e-NAM को पूरी तरह अपनाने और अपने मौजूदा सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ, e-NAM कृषि के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह किसानों को उचित मूल्य, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी बाजार प्रदान करता है। हाल ही में इसके विस्तार और डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के साथ, e-NAM आने वाले वर्षों में कृषि व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है।

3. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

समाचार:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिससे लगभग ₹51 करोड़ का वित्तीय व्यय होगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के बारे में:

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की स्थापना 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में हाथ से मैला ढोने वाले श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है।
- हालांकि यह अधिनियम 2004 में समाप्त हो गया, लेकिन सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से आयोग एक गैर-सांविधिक (Non-Statutory) निकाय के रूप में कार्य करता रहा है।

उद्देश्य और कार्य:

- **कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी:** हाथ से मैला ढोने की प्रथा (निषेध) और पुनर्वास अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों की प्रभावशीलता की समीक्षा करता है।
- **शिकायत निवारण:** सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण से जुड़ी शिकायतों की जांच करता है।
- **नीतिगत सिफारिशें:** सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार को सुझाव देता है।
- **सर्वेक्षण और पुनर्वास:** हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान करने और उनके पुनर्वास प्रयासों की निगरानी में सहायता करता है।

चुनौतियाँ:

- **कानूनी दर्जे की कमी:** 2004 से NCSK बिना कानूनी समर्थन के कार्य कर रहा है, जिससे इसकी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं।
- **हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी:** प्रतिबंध के बावजूद, भारत के कई हिस्सों में अब भी खतरनाक रूप से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई हाथ से की जाती है।
- **पुनर्वास की धीमी गति:** पहचान किए गए कई सफाई कर्मचारियों को अब तक वैकल्पिक रोजगार और वित्तीय सहायता नहीं मिली है।
- **कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन:** 2013 के निषेध अधिनियम (Prohibition Act) का राज्यों में असंगत रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- **अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:** सफाई कर्मचारी अक्सर बिना उचित सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं, जिससे सीवरों में जहरीली गैसों के कारण लगातार मौतें होती रहती हैं।

हालिया विकास:

- **कार्यकाल विस्तार:** सरकार ने NCSK के कार्यकाल को कई बार बढ़ाया है, जिसका नवीनतम विस्तार मार्च 2025 तक किया गया है।
- **मशीनीकरण को बढ़ावा:** हाथ से सीवर सफाई की जगह मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- **वित्तीय सहायता और कल्याणकारी उपाय:** NCSK बेहतर वेतन, बीमा और पुनर्वास कार्यक्रमों की वकालत कर रहा है।

आगे का रास्ता:

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए:
- NCSK को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए ताकि इसे अधिक प्रभावी प्रवर्तन शक्तियाँ मिल सकें।
- सीवर सफाई में पूर्ण मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाए ताकि श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास कार्यक्रमों में तेजी लाई जाए।
- खतरनाक हाथ से सफाई के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।
- यह आयोग भारत में सफाई कर्मचारियों की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की वकालत करने वाला एक महत्वपूर्ण निकाय बना रहेगा।

4. चंद्रयान-4

समाचार: भारत 2027 में चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाना है।

चंद्रयान-4 क्या है?

चंद्रयान-4 मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र नमूना-वापसी अभियान है, जिसका नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) कर रहा है। अपने पूर्ववर्ती मिशनों की सफलताओं पर आधारित यह मिशन भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमता को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

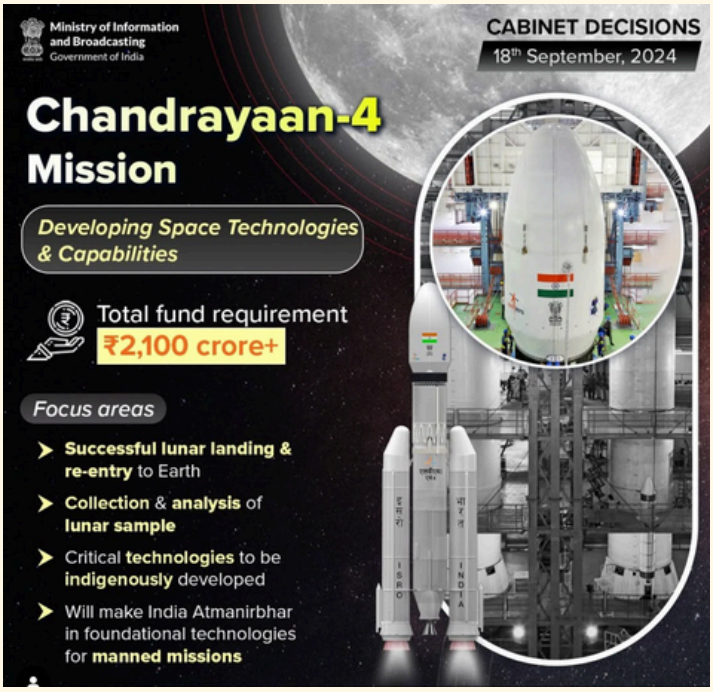

मिशन के उद्देश्य:

- चंद्र नमूना संग्रह: चंद्रयान-4 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चंद्र मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा और उन्हें विस्तृत विश्लेषण के लिए सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाएगा।
- प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी: मिशन में सतह से नमूना संग्रह, ड्रिलिंग प्रणाली, नमूना भंडारण और अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रक्रियाओं जैसी उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये नवाचार भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

मिशन कॉन्फ़िगरेशन: मौजूदा पेलोड सीमाओं को दूर करने के लिए, चंद्रयान-4 एक नया दृष्टिकोण अपनाएगा:

- **द्वि-प्रक्षेपण रणनीति:** मिशन को दो चरणों में दो LVM3 रॉकेट्स की मदद से लॉन्च किया जाएगा।
  - पहला प्रक्षेपण – यह अभिगमन (Ascender) और अवतरण (Descender) मॉड्यूल को लेकर जाएगा।
  - दूसरा प्रक्षेपण – यह स्थानांतरण (Transfer), पुनः प्रवेश (Re-entry), और प्रणोदन (Propulsion) मॉड्यूल को ले जाएगा।
- **अंतरिक्ष में असेंबली:** प्रक्षेपण के बाद, ये मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में डॉकिंग प्रक्रियाओं= के माध्यम से जोड़े जाएंगे, इसके बाद मिशन चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा। यह रणनीति पेलोड सीमाओं को दूर करने के साथ-साथ अंतरिक्ष में असेंबली क्षमताओं का प्रदर्शन भी करेगी।

चंद्रयान मिशनों का अवलोकन

भारत का चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम, जिसे ISRO द्वारा संचालित किया जाता है, अब तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर चुका है:

- **चंद्रयान-1 (2008):** भारत का पहला चंद्र मिशन, जिसने चंद्रमा पर जल अणुओं (Water Molecules) की मौजूदगी की पुष्टि की।
- **चंद्रयान-2 (2019):** इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम), और रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे। हालांकि, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग असफल रही, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी महत्वपूर्ण चंद्र डेटा भेज रहा है।
- **चंद्रयान-3 (2023):** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने वैज्ञानिक प्रयोग पूरे करने के बाद स्लीप मोड में प्रवेश किया।
- **शिवशक्ति पॉइंट:** चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल को शिवशक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, जिसकी उम्र लगभग 3.7 अरब वर्ष आंकी गई है। यह वही समय है जब पृथ्वी पर आदिम सूक्ष्मजीव जीवन (Microbial Life) विकसित हो रहा था।

चंद्रयान-4 (आगामी): भारत का पहला चंद्र नमूना-वापसी मिशन बनने की तैयारी में, यह अंतरिक्ष में असेंबली और डॉकिंग तकनीकों का प्रदर्शन करेगा।

प्रत्येक मिशन ने भारत की चंद्र अन्वेषण विशेषज्ञता को बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों, यहाँ तक कि संभावित मानव चंद्र मिशन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

5. पीएम-अजय योजना

समाचार: केंद्र सरकार ने पीएम-अजय योजना की प्रगति की समीक्षा की और अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के समावेशी विकास पर जोर दिया।

पीएम-अजय योजना के बारे में:

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह तीन मौजूदा योजनाओं के विलय से बनाई गई है:

- आदर्श ग्राम योजना
- अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

पीएम-अजय योजना के उद्देश्य:

- **गरीबी उन्मूलन:** अनुसूचित जाति (SC) समुदायों में गरीबी कम करने के लिए कौशल विकास और आय-सृजन योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** SC बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराकर सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना।
- **शैक्षिक उन्नति:** साक्षरता दर बढ़ाना और SC छात्रों को स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए छात्रावासों के निर्माण और मरम्मत जैसी आवश्यक सहायता प्रदान करना।

पीएम-अजय योजना के प्रमुख घटक:

"आदर्श ग्राम" के रूप में SC बहुल गांवों का विकास:

इस घटक का उद्देश्य अत्यधिक SC जनसंख्या वाले गांवों का समग्र विकास करना है, जिससे वे आदर्श गांव (मॉडल विलेज) बन सकें और उनमें बेहतर बुनियादी ढांचा व सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

राज्यों/जिलों को अनुदान सहायता:

राज्य और जिला प्रशासन को SC समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

छात्रावासों का निर्माण/मरम्मत:

SC छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले

विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावासों की मरम्मत का प्रावधान किया गया है।

प्रगति और उपलब्धियाँ: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) की शुरुआत के बाद से इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है:

आदर्श ग्राम घटक:

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 215 गांवों को "आदर्श ग्राम" घोषित किया गया।
- 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 3,609 गांव हो गई। 2023-24 में अतिरिक्त 2,489 गांवों को "आदर्श ग्राम" का दर्जा दिया गया।

अनुदान सहायता घटक:

- 2021-22 में इस घटक के तहत 444 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- इसके बाद के वर्षों में भी इस योजना के तहत निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है।

क्रियान्वयन में चुनौतियाँ:

- **वित्तीय सीमाएँ:** सीमित बजट आवंटन बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा बन सकता है।
- **नौकरशाही में देरी:** स्वीकृति प्रक्रिया की धीमी गति और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी।
- **सामाजिक बाधाएँ:** भेदभाव और लाभार्थियों में जागरूकता की कमी के कारण भागीदारी सीमित हो सकती है।
- **निगरानी संबंधी समस्याएँ:** जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है।

आगे का रास्ता:

- **बजटीय समर्थन में वृद्धि:** समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिक धन आवंटित करना।
- **प्रभावी निगरानी:** शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए तकनीक का उपयोग करना।
- **जागरूकता अभियान:** लाभार्थियों तक योजना के लाभ पहुँचाने के लिए जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित करना।
- **कौशल विकास पर ध्यान:** रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना।

PM-AJAY योजना अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, लेकिन इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, पर्याप्त वित्त पोषण और मजबूत प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर करती है।

6. पेरिस एआई शिखर सम्मेलन

समाचार: पेरिस में 10-11 फरवरी, 2025 को आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कार्यवाही शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेता, तकनीकी अधिकारी, नीति निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि एकत्र हुए ताकि एआई के भविष्य पर चर्चा की जा सके।

मुख्य बिंदु:

- एआई गवर्नेंस विभाजन – फ्रांस, भारत और चीन सहित 60 देशों ने नैतिक एआई को बढ़ावा देने वाले एक घोषणा पत्र का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका और यू.के. ने अत्यधिक नियमन की चिंताओं के कारण हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
- भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा – शिखर सम्मेलन में वैश्विक एआई प्रतिद्वंद्विता को सहयोग से अधिक प्रमुखता मिली।
- नियामक रूपरेखा – एआई के दुरुपयोग को रोकने और नवाचार को संतुलित करने के उपायों पर चर्चा की गई।
- जनहित में एआई – जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में एआई-संचालित समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

चुनौतियाँ और आगे का मार्ग:

- नियमन और नवाचार में संतुलन – प्रगति को बाधित किए बिना उत्तरदायी एआई उपयोग सुनिश्चित करना।
- वैश्विक सहयोग आवश्यक – अलग-अलग एआई नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय एआई गवर्नेंस में बाधा बन सकती हैं।
- नैतिक एआई में निवेश – पारदर्शिता, निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देना।
- वैश्विक एआई रूपरेखा की आवश्यकता – शिखर सम्मेलन ने एआई विकास को जिम्मेदारी से निर्देशित करने के लिए एक वैश्विक रूपरेखा की जरूरत को रेखांकित किया।

एआई क्या है?

- नियमन और नवाचार में संतुलन – प्रगति को बाधित किए बिना उत्तरदायी एआई उपयोग सुनिश्चित करना।
- वैश्विक सहयोग आवश्यक – अलग-अलग एआई नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय एआई गवर्नेंस में बाधा बन सकती हैं।
- नैतिक एआई में निवेश – पारदर्शिता, निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देना।
- वैश्विक एआई रूपरेखा की आवश्यकता – शिखर सम्मेलन ने एआई विकास को जिम्मेदारी से निर्देशित करने के लिए एक वैश्विक रूपरेखा की जरूरत को रेखांकित किया।

एआई के प्रकार: नैरो एआई ,जनरल एआई , सुपर एआई

एआई के अनुप्रयोग: स्वास्थ्य सेवा (Healthcare), वित्त (Finance), शिक्षा (Education), निर्माण (Manufacturing), रक्षा (Defense).

NEW IN BREIF

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)

समाचार: चार सदस्यीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के दो देश— स्विट्ज़रलैंड और लिकटेंस्टाइन— भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर जोर दे रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

- EFTA ने पिछले साल भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता शामिल है।
- स्विट्ज़रलैंड, EFTA क्षेत्र के देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- पिछले साल, स्विट्ज़रलैंड ने भारत-स्विट्ज़रलैंड के बीच 1994 में हस्ताक्षरित दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) खंड को निलंबित कर दिया था।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में

- EFTA एक सरकारी संगठन है जिसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं।
- इसकी स्थापना 1960 में सात सदस्य देशों द्वारा मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- 2022 में, EFTA-भारत के बीच कुल वस्तु व्यापार 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया था।
- EFTA देशों के भारत से प्रमुख आयात: जैविक रसायन (27.5%)।
- भारत को EFTA से मुख्य निर्यात: मशीनरी (17.5%) और दवा उत्पाद (11.4%)।

पैंडोरा मिशन: एक्सोप्लैनेट वायुमंडल की खोज

मिशन के बारे में: नासा का पैंडोरा मिशन 20 एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ट्रांज़िट स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करेगा, जिससे तारे के प्रकाश के फिल्टर होने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाएगा। यह ग्रहों के वायुमंडलीय संकेतों को तारकीय हस्तक्षेप से अलग करने में मदद करेगा, जिससे एक्सोप्लैनेट की रहने योग्य क्षमता के अध्ययन में सुधार होगा।

पैंडोरा मिशन के उद्देश्य

- 20 एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का अध्ययन करना, उनके संघटन और संभावित रहने योग्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना।
- ट्रांज़िट स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करना और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों की पहचान करना।
- तारकीय गतिविधि का अध्ययन करना और यह समझना कि यह वायुमंडलीय मापों को कैसे प्रभावित करती है, जिससे एक्सोप्लैनेट अनुसंधान की सटीकता में सुधार हो।

वैज्ञानिक महत्त्व

- ग्रहों के वायुमंडलीय संकेतों और तारकीय हस्तक्षेप के बीच अंतर करने में मदद करता है।
- रहने योग्य एक्सोप्लैनेट्स की खोज में योगदान देता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वायुमंडलीय तत्वों का पता लगाने में सहायक है।
- भविष्य के मिशनों जैसे JWST (जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप) का समर्थन करता है, जिससे एक्सोप्लैनेट अवलोकन तकनीकों में सुधार होगा।

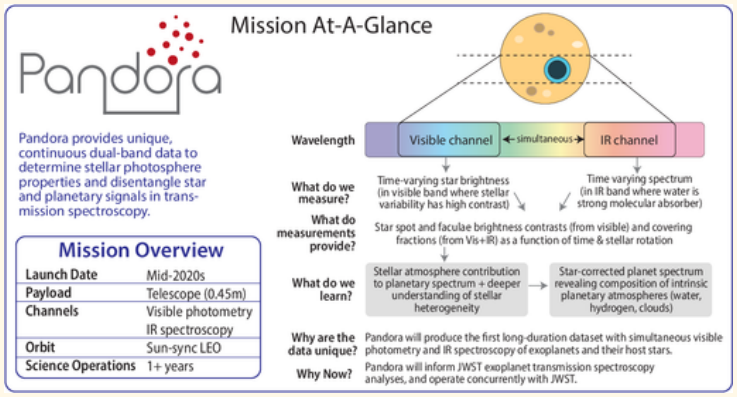

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ:

- डेटा में तारकीय संदूषण (stellar contamination) को कम करना।
- सटीक परिणामों के लिए लंबी अवलोकन अवधि की आवश्यकता।
- भविष्य में एक्सोप्लैनेट अनुसंधान को और उन्नत बनाना।

पैंडोरा मिशन सुदूर ग्रहों को समझने और रहने योग्य ग्रहों की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

पिनाका: मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम (MRLS)

समाचार: केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सेना के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम (MRLS) को मजबूत करने के लिए ₹10,147 करोड़ के गोला-बारूद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु:

- ये अनुबंध इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (EEL) और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) के साथ किए गए हैं।
- इसके तहत एरिया डिनायल म्यूनिशन (ADM) टाइप-1 और हाई एक्सप्लोसिव प्री-फ्रैगमेंटेड (HEPF)-Mk-1 रॉकेट खरीदे जाएंगे।
- ये उन्नत गोला-बारूद पिनाका की मारक क्षमता और फायरपावर को बढ़ाएंगे।

पिनाका के बारे में:

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) और हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी (HEMRL), पुणे द्वारा विकसित।
- पिनाका Mk1: 38 किमी रेंज, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद दागने की क्षमता।
- अपग्रेडेड पिनाका: सफल परीक्षण में 75 किमी रेंज हासिल, भविष्य में 120 किमी और 300 किमी रेंज के संस्करण विकसित करने की योजना।
- MLRS क्षमता: 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागने में सक्षम।
- संचालन में मजबूती: वर्तमान में 4 रेजिमेंट सेवा में, 6 और रेजिमेंट का ऑर्डर दिया गया।
- वैश्विक रुचि: आर्मेनिया पहला निर्यात ग्राहक बना।

"रूस की इस्कंदर-एम मिसाइल"

समाचार: हालिया घटनाक्रम में, रूस ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों में इस्कंदर-एम मिसाइलों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2024 में, रूस ने कीव पर आठ बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें इस्कंदर-एम भी शामिल थी, जिससे भारी नुकसान और हताहत हुए।

मिसाइल के बारे में:

इस्कंदर-एम (नाटो रिपोर्टिंग नाम: SS-26 स्टोन) एक रूसी मोबाइल शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जिसे शत्रु के अग्नि स्थलों, वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणालियों, कमांड सेंटरों और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है।

- **प्रकार: मोबाइल शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली (SRBM)**
- **रेंज: 500 किमी तक**
- **गति: मैक 6–7 (हाइपरसोनिक)**
- **सटीकता: 5–7 मीटर CEP ऑप्टिकल होमिंग के साथ**

क्षमताएँ:

- बचाव प्रणाली को चकमा देने के लिए इवैसिव मूवमेंट और डिकोय तैनाती
- पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम
- मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र

अभ्यास- विंग्ड रेड

समाचार: भारतीय सेना ने हाल ही में "एक्स विंग्ड रेडर" नामक एक प्रशिक्षण अभ्यास पूरा किया।

एक्स विंग्ड रेडर के बारे में

- यह अभ्यास भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना (IAF) की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
- इसमें निश्चित-पंख (फिक्स्ड-विंग) और रोटरी-विंग (हेलीकॉप्टर) विमानों का उपयोग करके विभिन्न एयरबोर्न इनसर्शन तकनीकों का अभ्यास किया गया।
- यह प्रशिक्षण सैनिकों को विविध परिचालन परिस्थितियों में तेजी से तैनात करने की क्षमता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ:

- विशेष एयरबोर्न ऑपरेशंस पर केंद्रित: अभ्यास ने इंटर-सर्विस सहयोग के महत्व को उजागर किया।
- पूर्वी थिएटर में आयोजित: यह अभ्यास भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की ऑपरेशनल तत्परता और समन्वय को मजबूत करने के लिए किया गया।
- सैनिकों की कौशल वृद्धि: इस अभ्यास ने सैनिकों को अपनी क्षमताओं को निखारने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का अवसर दिया।

बाजार हस्तक्षेप योजना

समाचार: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के बारे में

- बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS), प्रधानमंत्री-आशा (PM-AASHA) योजना का एक घटक है।
- इसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) सरकारों के अनुरोध पर लागू किया जाता है।
- इस योजना के तहत टमाटर, प्याज, आलू जैसे विभिन्न नष्ट होने योग्य कृषि/बागवानी उत्पादों की खरीद की जाती है, जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू नहीं होता।

संशोधित बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) दिशानिर्देश
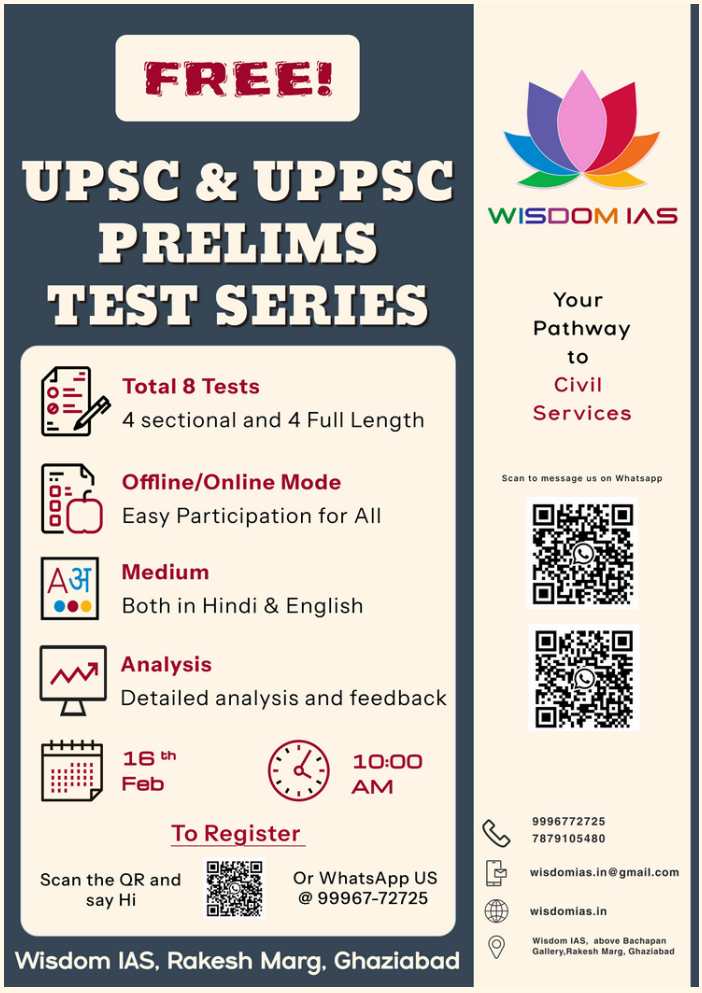
- MIS केवल तब लागू होगी जब वर्तमान बाजार मूल्य में पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में न्यूनतम 10% की गिरावट हो।
- फसलों के उत्पादन की खरीद/कवरेज सीमा को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।
- राज्य सरकार को यह विकल्प दिया गया है कि वह भौतिक खरीद के बजाय किसानों के बैंक खातों में बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि सीधे जमा कर सकती है।